2016 का विधेयक संख्यांक 215

[दि टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

आय-कर अधिनियम, 1961 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह, इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तुरंत प्रवृत्त होगा ।

अध्याय 2

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

1961 का 43

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (19कक) में, स्पष्टीकरण 4 के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 5**–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी कंपनी की, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसके शेयरों का पृथक् कंपनियों में अंतरण के परिणामस्वरूप पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही है, पुनर्संरचना या विभाजन को निर्विलयन समझा जाएगा, यदि ऐसी पुनर्संरचना या विभाजन शेयरों के उक्त अंतरण से संलग्न किसी शर्त को प्रभावी करने के लिए किया गया है और वह ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं ।"।

धारा 80जजकक का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 80जजकक की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जो परिधान विनिर्माण के कारबार में लगा हुआ है, उपखंड (ग) के उपबंधों का वही प्रभाव होगा मानो "दो सौ चालीस दिन" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ पचास दिन" शब्द रखे गए हों ।'।

अध्याय 3

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची का संशोधन ।

1975 का 51

4. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में,--

(क) अध्याय 25 में, टैरिफ मद 2515 11 00, टैरिफ मद 2515 12 10, टैरिफ मद 2515 12 20, टैरिफ मद 2515 12 90, टैरिफ मद 2516 11 00 और टैरिफ मद 2516 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में, "10%" प्रविष्टि के स्थान पर, क्रमश: "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) अध्याय 68 में, टैरिफ मद 6802 10 00, टैरिफ मद 6802 21 10, टैरिफ मद 6802 21 20, टैरिफ मद 6802 21 90, टैरिफ मद 6802 23 10, टैरिफ मद 6802 23 90, टैरिफ मद 6802 29 00, टैरिफ मद 6802 91 00, टैरिफ मद 6802 92 00 और टैरिफ मद 6802 93 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में, "10%" प्रविष्टि के स्थान पर, क्रमश: "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आय-कर अधिनियम, 1961 के विद्यमान उपबंधों में अस्तित्वों के निर्विलयन की दशा में, पूंजी आस्ति के अंतरण से संबंधित मामलों में कर निष्प्रभाविता, हानि को अग्रनीत करने, कतिपय कटौतियों का दावा करने आदि के बारे में उपबंधित है । आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (19कक) में अंतर्विष्ट "निर्विलियन" पद की परिभाषा में उसकी व्याप्ति, किसी ऐसी कंपनी के, जो सरकार द्वारा उसके शेयरों का पृथक् कंपनियों में अंतरण के परिणामस्वरूप पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही है, विभाजन या पुनर्संरचना को सम्मिलित नहीं किया गया है, यद्यपि सरकार द्वारा ऐसा विभाजन या पुनर्संरचना, शेयरों के उक्त अंतरण से संलग्न शर्तों को प्रभावी करने के लिए की गई है ।

2. सरकार द्वारा तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी के विभाजन या पुनर्संरचना को सुकर बनाने के उद्देश्य से तथा शेयरों के अंतरण से संलग्न शर्तों को प्रभावी करने के लिए, "निर्विलियन" पद की परिभाषा की परिधि में ऐसे विभाजन या पुनर्संरचना को लाने की आवश्यकता है ।

3. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80जजकक को वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कतिपय निर्धारितियों की दशा में कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की संगणना में, कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने के अधीन रहते हुए, किसी पूर्व वर्ष में ऐसे कारबार के अनुक्रम में उपगत अतिरिक्त कर्मचारी लागत के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । शर्तों में से एक शर्त में यह उपबंधित है कि कर्मचारी को पूर्व वर्ष के दौरान कम से कम दो सौ चालीस दिन की अवधि के लिए नियोजित होना चाहिए । परिधान विनिर्माण के कारबार की मौसमी प्रकृति को देखते हुए ऐसे किसी कर्मचारी के नियोजन की अवधि को, जो इस कारबार में नियोजित है, पूर्व वर्ष के दौरान दो सौ चालीस दिन से कम करके एक सौ पचास दिन करने की आवश्यकता है ।

4. इस समय संगमरमर के ब्लाक या सिल्लियों और ग्रेनाइट ब्लाक या सिल्लियों का आयात गैर-टैरिफ परिमाणों के संयोजन के अध्यधीन है, अर्थात् मात्रात्मक निर्बंधन (क्यू.आर.) और न्यूनतम आयात कीमत (एम.आई.पी.) और टैरिफ परिमाण अर्थात् सीमाशुल्क, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अधीन 10% की दर से उद्ग्रहीत है ।

5. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अधीन सीमा-शुल्क की वर्तमान दर के साथ-साथ संगमरमर और ट्रैवर्टिन ब्लॉक/सिल्लियों तथा ग्रेनाइट ब्लाक/सिल्लियों के लिए प्रभावी दर 10% है । टैरिफ के संबंध में अधिक नमनीयता रखने के लिए, विधेयक उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे विनिर्दिष्ट टैरिफ मदों के अधीन आने वाले सभी माल पर, जिनके अंतर्गत अपरिष्कृत संगमरमर और ट्रैवर्टिन ब्लॉक/सिल्लियां तथा ग्रेनाइट ब्लाक/सिल्लियां भी हैं, सीमाशुल्क 10% से बढ़ाकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की बाध्यकारी दर 40% किया जा सके ।

6. प्रस्तावित विधेयक का अधिनियमन सरकार को, संगमरमर और ट्रैवर्टिन

ब्लॉक/सिल्लियों तथा ग्रेनाइट ब्लाक/सिल्लियों पर सीमाशुल्क की समुचित प्रभावी दर नियत करने हेतु समर्थ बनाएगा ।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

अरूण जेटली

नई दिल्ली ;
8 अगस्त, 2016

उपाबंध

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--　　परिभाषाएं ।

*　　*　　*　　*　　*

1956 का 1　　(19कक) कंपनियों के संबंध में, "निर्विलयन" से अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से धारा 394 के अधीन किसी ठहराव की स्कीम के अनुसरण में किसी निर्विलीन कंपनी द्वारा अपने एक या अधिक उपक्रमों का किसी परिणामी कंपनी को ऐसी रीति से अन्तरण की कि--

*　　*　　*　　*　　*

स्पष्टीकरण 4–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किसी प्राधिकरण या निकाय अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या पब्लिक सेक्टर कंपनी का, यथास्थिति, पृथक् प्राधिकरणों, निकायों या स्थानीय प्राधिकारियों में विभाजन या पुनर्संचना को निर्विलयन समझा जाएगा यदि ऐसा विभाजन या पुनर्संचना ऐसी शर्तों को पूरा करती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं ।

*　　*　　*　　*　　*

80जजकक. (1)　　*　　*　　*　　*　　नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी,--

(क) यदि कारबार का गठन विद्यमान कारबार के विभाजन या पुनर्निमाण द्वारा हुआ है :

परन्तु इस खंड में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे कारबार के संबंध में लागू नहीं होगी जिसका गठन धारा 33ख में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और अवधि के भीतर निर्धारिती द्वारा कारबार के पुनःस्थापन, पुनर्निमाण या पुनरुस्थान के परिणामस्वरूप की जाएगी ।

(ख) यदि कारबार निर्धारिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अंतरण के रूप में या किसी कारबार पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अर्जित किया जाता है ;

(ग) जब तक कि निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं, देते हुए प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(i) "अतिरिक्त कर्मचारी लागत" से पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों को संदत्त या संदेय कुल परिलब्धियां अभिप्रेत हैं :

परन्तु विद्यमान कारबार की दशा में अतिरिक्त कर्मचारी लागत शून्य होगी, यदि–

(क) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या से कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है;

(ख) परिलब्धियां बैंक खाते के माध्यम से पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग से अन्यथा संदत्त की जाती हैं :

परन्तु यह और कि नए कारबार के प्रथम वर्ष में, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नियोजित कर्मचारियों को संदत्त या संदेय परिलब्धियां अतिरिक्त कर्मचारी लागत समझी जाएगी;

(ii) "अतिरिक्त कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जो पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित किया गया है और जिसके नियोजन के प्रभाव पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को नियोजक द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या में वृद्धि है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,--

(क) कोई ऐसा कर्मचारी जिसकी प्रतिमास कुल परिलब्धियां 25 हजार रुपए से अधिक हैं ; या

(ख) ऐसा कर्मचारी जिसके लिए समस्त अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के 1952 का 19
अनुसार अधिसूचित कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन सरकार द्वारा संदत्त किया जाता है; या

(ग) पूर्ववर्ष के दौरान 240 दिन से कम की अवधि के लिए नियोजित कोई कर्मचारी ; या

(घ) कोई कर्मचारी, जो मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग नहीं लेता है ;

*   *   *   *   *

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 51) से उद्धरण

*   *   *   *   *

पहली अनुसूची–आयात टैरिफ

(धारा 2 देखिए)

*   *   *   *   *

अनुभाग 5

खनिज उत्पाद

अध्याय 25

लवण; गन्धक; मिट्टी और प्रस्तर; प्लास्टरिंग सामग्री, चूना और सीमेंट

*   *   *   *   *

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी -क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*	*	*	*	*
2515 11 00	अपरीष्कृत या स्थूल रूप से समाकर्तित	कि.ग्रा	10%	--
*	*	*	*	*
2515 12 10	ब्लाकों	कि.ग्रा	10%	--
2515 12 20	सिल्लियों	कि.ग्रा	10%	--
2515 12 90	अन्य	कि.ग्रा	10%	--
*	*	*	*	*
2516 11 00	अपरीष्कृत या स्थूल रूप से समाकर्तित	कि.ग्रा	10%	--
2516 12 00	आरी द्वारा चीरकर या अन्यथा आयताकार (जिसके अन्तर्गत वर्गाकार भी हैं) आकार के ब्लाकों या सिल्लियों में मात्र कर्तित है या नहीं बलुकाश्म :	कि.ग्रा	10%	--
*	*	*	*	*

अनुभाग 13

प्रस्तर, प्लाटर, सीमेंट, ऐस्बेस्टास, अभ्रक या वैसी ही सामग्री की वस्तुएं; चीनी मिट्टी के उत्पाद, कांच और कांच के सामान

अध्याय 68

प्रस्तर, प्लाटर, सीमेंट, ऐस्बेस्टास, अभ्रक या वैसी ही सामग्री की वस्तुएं

* * * * *

टैरिफ मद	**माल का वर्णन**	**इकाई**	**शुल्क की दर**	
			मानक	**अधिमानी-क्षेत्र**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*	*	*	*	*

6802 10 00	टाइलें, क्यूब और वैसी ही वस्तुएं, चाहे वे आयताकार (जिसके अन्तर्गत वर्गाकार भी हैं) हैं या नहीं जिनका अधिकतम पृष्ठ क्षेत्र किसी ऐसे वर्ग में परिबद्ध किया जा सकता है जिसका पार्श्व सात सेंटीमीटर से कम है ; कृत्रिम रूप से रंगी कणिकाएं, चिप्पियां और चुर्ण	कि.ग्रा	10%	--
*	*	*	*	*
6802 21 10	संगमरमर के ब्लाक या टाइलें	कि.ग्रा	10%	--
6802 21 20	संगमरमर के संस्मारकीय प्रस्तर	कि.ग्रा	10%	--
6802 21 90	अन्य	कि.ग्रा	10%	--
*	*	*	*	*
6802 23 10	ग्रेनाइट के ब्लाक या टाइलें	कि.ग्रा	10%	--
6802 23 90	अन्य	कि.ग्रा	10%	--
6802 29 00	अन्य प्रस्तर	कि.ग्रा	10%	--
	अन्य			
*	*	*	*	*
6802 91 00	संगमरमर, ट्रेवरटाइन और एलबास्टर	कि.ग्रा	10%	--
6802 92 00	अन्य कैल्सियमी प्रस्तर	कि.ग्रा	10%	--
6802 93 00	ग्रेनाइट	कि.ग्रा	10%	--
*	*	*	*	*

GMGIPMRND—2294LC(CRC)—8-8-2016.